

Others

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 7-10/96/2/चौतीस
प्रति

भोपाल दिनांक 24-2-97

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
2. प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
भोपाल, ।

विषय:- स्थानीय निकायों अथवा अन्य शासकीय विभागों के कार्यों पर पर्यवेक्षण
शुल्क ।

कार्य नियमावली की कंडिका 2.164 में प्रवधान के अनुसार लोक स्वास्थ्य
यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत संपादित होने वाले निक्षेप कार्यों हेतु पर्यवेक्षण अभिभार 6
प्रतिशत निर्धारित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता/-
(वीरेन्द्र खरे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्र0एफ 7-10/96/2/चौतीस
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24.2.97

समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश ।

हस्ता/-
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

// सत्यप्रतिलिपि //